जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
178/15
A3

अपील सूचना का अधिकार संख्या 178/2015 श्री भगवान पुत्र गुरदयाल राम जाति नायक निवासी 1 के.एस.एम. (ढाणी) तहसील अनूपगढ बनाम तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ

31.03.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री भगवान उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री भगवान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 07.10.2015 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रमाणित प्रतिलिपि बंटवारानाम तह0 अनूपगढ के चक 1 के.एस.एम. के मु0न0 27 प0न0 276/400 के कुल 25 बीघा का जो दिनांक 25.12.2010 को कैम्प 16ए में पेश हुआ और दिनांक 25.01.2011 को आदेश दिया किया गया जिसका नामान्तरण दिनांक 24.01.11 को गुरदयाल के पुत्रो मनोहर राम, जगदीश, श्रीभगवान व बहादरराम के नाम से स्वीकृत हुआ।
2. प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 05.01.2011 जिसकी रूह से तह0 अनूपगढ के चक 1 के.एस.एम. के मु0न0 27 प0न0 276/400 के कुल 25 बीघा का बंटवारे के आधार पर नामान्तरण गुरदयाल राम के पुत्रो मनोहर राम, जगदीश, श्रीभगवान व बहादरराम के नाम जारी किये जाने के आदेश पारित किये।

अपीलार्थी श्री भगवान ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि प्रत्यर्थी ने आदेश क्रमांक भू.अ./2015/2498 दिनांक 30.10.2015 द्वारा उसे सूचित किया गया कि चाही गई सूचना तलाश करने के बावजूद कार्यालय में उपलब्ध नही है उपलब्ध होने पर आपको भिजवा दी जावेगी। प्रत्यर्थी द्वारा जान बूझकर उसे सूचना उपलब्ध नही करवाई जा रही है जो उसे अविलम्ब उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे व उनपर अधिकतम जुर्माना लगाया जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 28.12.15 प्रस्तुत कर निवेदन किया किया गया है कि आवेदक द्वारा वांछित अभिलेख तहसील कार्यालय के स्टाफ द्वारा काफी तलाश करने पर उपलब्ध हो गया है। वांछित अभिलेख मिलने पर आवेदक द्वारा वांछित छाया प्रतियों उनके कार्यालय के पत्र सं0 भू.अ./15/2921 दिनांक 23.12.2015 के द्वारा प्रार्थी श्री भगवान जरिये डाक उपलब्ध करवा दी गई है अतः अपील दाखिल दफतर की जावे।

तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ द्वारा पत्रं स0 2921 दिनांक 23.12.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है, परिणाम स्वरूप पत्र पर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाकर उसके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये गये हैः–

> आप द्वारा वांछित बंटवारानामा दिनांक 24.12.2010 एवं इस कार्यालय का बंटवारा आदेश क्रमांक भू.अ./एसपीएल/3538 दिनांक 05.01.2015 (जो कि चक 1के.एस.एम. के पत्थर न0 276/400 के 25 बीघा से संबंधित है) की छाया प्रतियों सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आपको इस पत्र के सलंग्न कर उपलब्ध करवाई जा रही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

178/15

A3/2

अपीलार्थी के प्रा0 पत्र के संबंध में उसको तहसीलदार अनूपगढ द्वारा पत्र दिनांक 30.10.15 द्वारा निश्चित अवधि में ही सूचित कर दिया था कि संबंधित अभिलेख उपलब्ध नही हो रहा है उपलब्ध होते ही प्रेषित कर दी जावेगी। जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने के पश्चात संबंधित अभिलेख उपलब्ध होने पर तहसीलदार द्वारा पत्र दिनांक 23.12.2015 के द्वारा सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर किसी प्रकार की आवश्यकता नही है और खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर